केंद्रीय विद्यालय संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय,गुड़गाँव

फा.स. 32025-01/2015केविसं/गुड़गाँव संभाग/ हिंदी दिनांक 08.04.2015

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 09.04.2015 को दोपहर बाद 3.00बजे उपायुक्त की अध्यक्षता में उनके कक्ष में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। समिति के निम्न मनोनित सदस्यों से अनुरोध है कि वे संलग्न कार्यसूची सहित बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें। सभी सदस्यों से यह भी अपेक्षा कि जाती है कि वे अपने सुझाव भी दें ताकि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में इन सुझावों को सम्मिलत किया जा सकें।

1.श्री बी.एल.मोरोड़िया	-	सहायक आयुक्त	-	सदस्य
2.श्री सी.एस.आजाद	-	सहायक आयुक्त	-	सदस्य-सचिव
3.श्री निरंजन लाल	-	प्रशासनिक अधिकारी	-	सदस्य
4.सुश्री सुखराज कौर	-	वित अधिकारी	-	सदस्य
5.श्री के.एस.बौरा	-	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	-	सदस्य
7.श्रीमती निर्मला	-	सहायक (प्रशासन)	-	सदस्य
8.श्री एस.के.सिंह	-	सहायक(लेखा)	-	सदस्य
6.श्री देवेन्दर कुमार	-	प्राचार्य,केवि न.1 गुड़गांव	-	विशेष आमंत्रित सदस्य

(सी.एस.आजाद)
सहायक आयुक्त(राजभाषा)

केंद्रीय विद्यालय संगठन
KendriyaVidyalayaSangathan
संभागीय कार्यालय/**REGIONAL OFFICE**
KV No.1, AFSCampus,Sector-14
गुड़गाँव/Gurgaon (Haryana)-122001
PH:0124-2307399(DC)/2307499/2307599
E-mail: dcrogurgaon@kvsedu.orgaorogurgaon@kvsedu.org
forogurgaon@kvsedu.org

फा सं.32025-01/2015 केविस/गुडगांव संभाग/हिंदी दिनांक 22.04.2015

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 09.04.2015 को हुई बैठक का कार्यवृत्त (Copy of minutes of meeting held on 09.01.2015 for implementation of Official Language)

क्षेत्रीय कार्यालय गुड़गांव में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 09.04.2015 को उपायुक्त की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सायं 3.00 बजे हुई। बैठक में उपायुक्त सहित निम्न सदस्य उपस्थित थेः-

1.श्री बी.एल.मोरोड़िया	-	सहायक आयुक्त	-	सदस्य
2.श्री सी.एस.आजाद	-	सहायक आयुक्त	-	सदस्य-सचिव
3.श्री निरंजन लाल	-	प्रशासनिक अधिकारी	-	सदस्य
4.सुश्री सुखराज कौर	-	वित अधिकारी	-	सदस्य
5.श्री के.एस.बौरा	-	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	-	सदस्य
6.श्रीमती निर्मला	-	सहायक	-	सदस्य
7.श्री एस.के.सिंह	-	सहायक	-	सदस्य
9.श्री देवेन्दर कुमार	-	प्राचार्य,केवि न.1 गुड़गांव	-	विशेष आमंत्रित सदस्य

सभी सदस्य नियत समय पर उपस्थित हुए तथा अध्यक्ष की अनुमति से 3.12 बजे बैठक प्रारंभ हुई। सदस्यों को अवगत कराया गया कि यह बैठक इस वर्ष की पहली बैठक है। दिनांक 09.04.2015 को हुई बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा हुईः-

1.पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई:-

Action taken report on the decisions taken in the meeting last held.

सदस्यों को सर्वप्रथम पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी गई जिनमें राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन की जानकारी मुख्य थी।

सदस्यों को बताया गया कि प्रसंगाधीन विषय पर संगठन(मुख्यालय) से प्राप्त पत्र की प्रति दिनांक 23.12.2014 को सभी अनुभागों सहित केंद्रीय विद्यालयों को भेजी गई थी। चूँकि यह बैठक से कुछ दिन पूर्व परिचालित की गई थी। अतः इतने कम अंतराल में पुनः पत्र भेजना उचित नही समझा गया।

सभी सदस्यों ने एक मत होकर जोर दिया कि धारा 3(3) महत्वपूर्ण है। अतः इसकी एक प्रति पुनः सभी अनुभागों सहित केंद्रीय विद्यालयों को भेजी जाए।

कृ.पृ.उ. पृष्ठ ------2/-

पिछली बैठक में दूसरी मद हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिया जाना था।

सदस्यों को बताया गया कि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा में प्रसंगाधीन बिषय की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया जाता है। अतः अलग से पत्र नही भेजा गया है।

सदस्यों ने पुनः सुझाव दिया कि एक पत्र पुनः भेजा जाना आवश्यक होगा।

पिछली बैठक में यह मद उठाया गया था कि नाम पट्ट, रबड़ की मोहरों और बोर्डो को हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ जारी करना अनिवार्य है।

सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि इस आशय के आदेश सभी केंद्रीय विद्यालयों को दे दिए गए है। अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने पुनः आदेश दिए कि सभी केंद्रीय विद्यालयों से वहाँ प्रयोग में लाए जा रहे सभी रबड़ की मोहरों का जानकारी मांगी जाए तथा जहाँ अभी कोई भी रबड़ की मोहर मात्र अंग्रेजी में प्रयोग में लाई जा रही है। उसे तुरंत प्रभाव से हिंदी और अंग्रेजी में साथ-साथ तैयार किया जाए।

पिछली बैठक की एक महत्वपूर्ण मद कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समाचार-पत्रों और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था थी।

इस संदर्भ में सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यालय में दो समाचार पत्र हिंदी में और दो अंग्रेजी में फरवरी 2015 से आने प्रारंभ हो गए है तथा कुछ पत्रिकाएं भी हिंदी और अंग्रेजी में आनी शुरु हो गई है।

सभी सदस्यों ने इसकी सराहना करते हुए सुझाव दिया कि सभी को समाचार-पत्र व पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने की सुविधा दी जाए। जिसमें पेपर-स्टेंड व इसके लिए फर्नीचर की व्यवस्था मुख्य है।

पिछली बैठक की मुख्य मद थी कि कार्यालय परिसर में एक सफेद बोर्ड की व्यवस्था की जाए जिसमें आज का शब्द और आज का विचार लिखा जा सकें ताकि ऐसे शब्दों और विचारों से सभी प्रभावित हो सकें। प्रशासन अनुभाग को इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के पुनः निर्देश दिए गए है।

सदस्यों को बताया गया कि पिछली बैठक में अंतिम मद हिंदी पत्राचार में 100 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना था। इस संबंध में कार्यालय के सभी अनुभागों सहित समस्त केंद्रीय विद्यालयों को इस आशय के आदेश दिए गए है कि 'क' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में करें तथा 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय 90 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में अनिवार्य रूप से हिंदी में करें।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ/प्रशासन अनुभाग

2.मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.02.2015 को की गई समीक्षा-पत्र में दिए गए निदेशों का अनुपालन। To follow directions given by KVS(Hq.) on his review letter dated 24.02.2015

सदस्यों का ध्यान संगठन मुख्यालय के दिनांक 24.02.2015 के पत्र की ओर आकर्षित किया गया जिसमें मुख्यालय ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 07 मदों की जानकारी इस कार्यालय को दी थी। सदस्यों को बताया गया कि मुख्यालय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन इस कार्यालय सहित अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों में दृढ़ता से किया जाता है तथा अनुपालना रिपोर्ट की जानकारी मुख्यालय को इस कार्यालय के दिनांक 18.03.2015 के माध्यम से दी गई है।

कृ.पृ.उ. पृष्ठ ------3/-

सभी सदस्यों से इस पत्र के क्रम संख्या 5 और 6 में कार्रवाई करने के निदेश दिए है जिसमें हिंदी कार्यशाला और सभी केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन और उनकी नियमित बैठकें आयोजित करने के संबंध में है।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ

3.मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.03.2015 के पत्र के माध्यम से संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन।Directions are given by KVS(Hq.) letter dated 11.03.2015 for implementation of official Language Hindi as directed by Parliamentary Committee.

सभी सदस्यों को मुख्यालय के दिनांक 11.03.2015 के पत्र संख्या 11097/44/14-15केविसं (मुख्यालय)/हिं./434-533 की प्रति उपलब्ध की गई तथा उन 13 बिंदुओं पर अमल करने के लिए अनुरोध किया गया.

इस पत्र के अधिकाँश मदों पर चर्चा बैठक में होती आ रही थी। इसके बाद भी सदस्यों ने सुझाव दिया कि सभी अनुभागों के अधिकारी जब भी किसी उद्देश्य से निरीक्षण में जाते है। अपने विषय के निरीक्षण के साथ हिंदी का भी निरीक्षण करें।

अध्यक्ष ने समिति को पुनः आगाह किया कि पुस्तकालय के लिए पिछले बैठक में भी प्रस्ताव लाया गया जिसे अनुमोदित किया गया था परंतु अब तक कोई परिणाम नही निकला। अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने इसे तत्काल प्रभाव से मूर्त रूप देने के लिए कहा।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ

4.विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर किए जाने वाले खर्च के संबंध में राजभाषा विभाग/केविसं(मुख्यालय) के निर्देश। Instruction of Deptt.of O.L./KVS(Hq.) on Advertisement& Communication.

समिति के समक्ष संगठन मुख्यालयके दिनांक 10.03.2015 के पत्र की प्रति रखी गई तथा पत्र के पैरा 2 के (क) और (ख) उप-शीर्षो के बिषय मेंसभी को बताया गया कि

" विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार इत्यादि पर किए जाने वाले कुल खर्च में कम से कम 50 प्रतिशत की राशि राजभाषा हिंदी पर और शेष 50 प्रतिशत की राशि भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी के विज्ञापनों पर व्यय की जाए,जिसमें वरीयता भारतीय भाषाओं को दी जानी चाहिए।"

इस पैरा के संदर्भ में सदस्यों को बताया गया कि संभाग कार्यालय क क्षेत्र में है तथा संभाग के अंदर आने वाले विद्यालय क और ख क्षेत्र में आते है। अतः पंजाब स्थित केंद्रीय विद्यालयों को पंजाबी भाषा में भी विज्ञापन देना होगा।

कुछ सदस्यों ने दोंनों भाषाओं में विज्ञापन देने के मुद्दे को उठाया तथा बताया कि अंग्रेजी में विज्ञापन मंहगा होता है और विज्ञापन की राशि हिंदी के बजाए अंग्रेजी में अधिक होती है।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी में विज्ञापन एक से अधिक समाचार-पत्रों में और अधिक परिचालन के लिए निकाले जा सकते है। पंजाब क्षेत्र में स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रांतीय भाषा में विज्ञापन देकर इस खाई को बराबर किया जा सकता है।

कृ.पृ.उ. पृष्ठ ------4/-

सदस्यों के ध्यान में लाया गया कि क,ख और ग क्षेत्रों से गए विज्ञापनों का विवरण भी अलग-अलग रखा जाए।

सदस्यों ने पुनः सुझाव दिया कि संभाग के सभी अधिकारियों सहित अधीनस्थ केंद्रीय विद्यालयों को इसकी जानकारी दी जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ

5.हिंदी पत्राचार को निर्धारित लक्ष्य तक करने के लिए अपर आयुक्त(प्रशासन) के निदेश

5.Directions of Additional Commissioner(Admn.)KVS regarding Hindi correspondence as per decided target.

राजभाषा हिंदी में निर्धारित लक्ष्य तक पत्राचार करने के लिए केविसं के अपर आयुक्त (प्रशासन) के दिनांक 05.03.2015 के पत्र की प्रति सदस्यों को पहले ही विचारार्थ दे दी गई थी। इस विषय पर सदस्यों को बताया गया कि हिंदी की प्रगति के अनुसार पूरे देश को क,ख और ग क्षेत्रों में बाँटा गया है। इसी के अनुसार प्रत्येक कार्यालय को हिंदी पत्राचार करना है। एक सदस्य ने क क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत के मामले पर प्रश्न उठाया। इस संबंध में बताया गया कि क क्षेत्र को ग क्षेत्र के लिए कम से कम 65 प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजे जाने अनिवार्य है।

इस पत्र की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया कि यदि क और ख क्षेत्र में स्थित कार्यालय को क क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उसका उत्तर प्राप्त कर्ता कार्यालय को हिंदी में दिया जाना आवश्यक है। इससे हिंदी पत्राचार को बढ़ावा मिलेगा और कार्यालय अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि इसकी एक-एक प्रति संभाग के सभी अनुभागों/अधिकारियों सहित केंद्रीय विद्यालयों को भेजी जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ

6.कार्यालय के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने की अपील करना जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है।Appeal to the Official of the Office to do their official work in Hind those who possessed efficiency in Hindi.

इस विषय पर जाने से पहले सभी सदस्यों को इस कार्यालय की हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित पिछली तिमाही रिपोर्ट की प्रति दे दी गई थी और बताया गया कि हमारे कार्यालय के हिंदी पत्राचार अभी 63 प्रतिशत है जो निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है।

सभी सदस्यों ने इसे गंभीरता से लिया तथा सोच-विचार कर निर्णय लिया गया कि अनुभागवार प्रत्येक डीलिंग हैंड के लिए एक रजिस्टर बना लिया जाए जिसमें प्रत्येक दिन में हिंदी में निपटाएं गए पत्रों की संख्या नोट की जाए तथा शत प्रतिशत काम हिंदी में करने के लिए प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरिरत किया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ

कृ.पृ.उ. पृष्ठ ------5/-

7.अध्यक्ष,राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा दिए गए अन्य सुझाव।

Other Suggestions as suggested by the Chairperson of Official Language Implementation Committee:-

चर्चा और परिचर्चाओं के बढ़ते अंत में अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि यदि वे राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझाव देना चाहते है तो उन्हें सहर्ष स्वीकार किया जाएगा।

सदस्य ने इस बात पर बल दिया कि मात्र केवल कागजातों तक हिंदी को न रखें। इसे व्यवहार में लाने के हर संभव प्रयास किए जाए। अध्यक्ष ने निम्न सुझाव दिए-

1. धारा 3(3) के अंतर्गत सभी के लिए आदेश निकाले जाए।
2. सभी से रबड़ की मोहरों के नमूने मांग लें। जहाँ द्विभाषी नही है उन्हें तत्काल प्रभाव से द्विभाषी तैयार कर लिया जाए।
3. मई 18,19 और 20 को हिंदी कार्यशाला रखी जाए।
4. विद्यालयों से हिंदी पत्राचार का सही आंकलन करने के लिए किसी एक तिमाही में प्रेषण रजिस्टर की फोटोप्रति मांग ली जाए।
5. कार्यालय में पुस्तकालय बनाई जाए तथा उसका रख-रखाव की जिम्मेदारी व.हि. अ. को दी जाए।
6. विद्यालयों से प्राप्त पत्रिका का मूल्यांकन भाषाई दृष्टि से किया जाए।
7. प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में रा.भा.का.स. का गठन और बैठक सुनिश्चित की जाए।
8. सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड तुरंत प्रभाव से लोड कर दिया जाए।

अनुवर्ती कार्रवाई- वहिअ/प्रशासन अनुभाग

सभी मदों पर विचार करने के पश्चात् बैठक अपने अंतिम चरण में पहुँची। समिति ने सभी मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई तुरंत प्रभाव से करने की सिफारिश की। अध्यक्ष की अनुमति से 5.15 बजे बैठक समाप्त हुई तथा सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। जय हिंदी जय भारत के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सी.एस.आजाद)
सहायक आयुक्त एवं सदस्य-सचिव
राजभाषा कार्यान्वयन समिति.क्षेत्रीय कार्यालय, गुडगांव